

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 37/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 20.08.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 31/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 31.07.2020, का.आ. 2628(अ) दिनांक 06.08.2020 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.3 के स्तंभ सं.3 में मौजूद प्रविष्टि को "फ़ा.सं. DRI/LZU-CI/26/Enq.16(INT-0)/2017 दिनांक 10.06.2020, दिनांक 01.07.2020 और 06.08.2020 के शुद्धिपत्रों के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-17/2020]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)

संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़
2. आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि नोटिसी को इस अधिसूचना के संदर्भ में सूचित करें।